

**मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER**

**सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर
CGST & CENTRAL EXCISE, JAIPUR ZONE, JAIPUR**

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu1400@rediffmail.com

(केंद्र कंट्रोल यूनिट)

Telefax: 0141-2385813

फा.सं. II-31(02)सीसीयू/जे.जेड/2022/857

दिनांक: 17.08.2022

नियुक्ति प्रस्ताव (Offer of Appointment)

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान पी.बी.-1 रु. 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रु. 2400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु 25500-81100 में लेवल 4 (Level-4 in the Pay Matrix Rs. 25500-81100)) एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में कर सहायक (ग्रुप-स) के पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate S/Sh/Ms.	Date of Birth	Category
1	SHYAM SUNDAR SHARMA	12.02.1993	UR
2	DEEPAK KUMAR VERMA	10.07.1995	SC

उपरोक्त नियुक्ति एनकजर-"अ" में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी:-

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
- उनका कर सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- उनकी कर सहायक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों के अनुसार बढ़ाई जा सकती है जो आवश्यक हो, इस शर्त के अधीन की कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं है: (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करता है।
- वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं।
- यदि वे संलग्न एनकजर-"अ" व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक 15.09.2022 को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को कर सहायक के पद पर अपनी

कार्यग्रहण रिपोर्ट मय चरित्र प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:- एनकजर-"अ"

— हस्ता—

(शशि पँवार)

संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III B दिनांक 13.07.2022 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ अंकक्षण जयपुर/अंकक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
3. अधीक्षक (प्रशासन/ गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
4. मु.ले.अधिकारी/ आहरण एवं वितरण अधिकारी/ प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक(सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/ उदयपुर/अलवर/ अंकक्षण जयपुर/अंकक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
6. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार
7. निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
8. महा सचिव, मंत्रालयिक अधिकारी संघ, जयपुर।
9. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

शशि पँवार
13/08/2022
(शशि पँवार)
संयुक्त आयुक्त